भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1505
दिनांक 15 **दिसंबर**, 2022

महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन सीमा को बढ़ाना

†1505. **श्री संजय काका पाटील**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किये गए गैस कनेक्शन की जिले-वार सीमा बढ़ाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त योजना में सभी महिलाओं को शामिल करने का भी विचार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए जिला/राज्य-वार कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

गरीब परिवार की ऐसी व्यस्क महिला पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र है, जिसके पास कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद न हो और पात्रता की सभी शर्तों को वे पूरा करती हो। पीएमयूवाई के चरण-I के तहत, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को सितम्बर, 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। कनेक्शन न ले सकने वाले शेष गरीब परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में पीएमयूवाई चरण-II (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी और इस लक्ष्य को जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया। दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.58 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

****